संख्या:240/2015/579जेपीआर/22-3-15-100(80)/2015

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 03 सितम्बर, 2015***

विषय: जिला कारागार, बिजनौर में निरूद्ध विचाराधीन बंदी उधम सिंह पुत्र श्री वीर नारायण सिंह, निवासी जनपद-मेरठ को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-31077/सामा-1(3)/बरेली मं0/2012, दिनांक 31-07-2015 के संदर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, बिजनौर में निरूद्ध विचाराधीन बंदी उधम सिंह पुत्र श्री वीर नारायण सिंह को जिला कारागार, लखनऊ में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या:240/2015/579जेपीआर(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, बिजनौर।
2. अधीक्षक, जिला कारागार, बिजनौर/लखनऊ।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in